समाहरणालय, बक्सर
(आपदा शाखा)

पत्रांक .... / आ0,

प्रेषक,

राघवेन्द्र सिंह,
भा0प्र0से0,
जिला पदाधिकारी, बक्सर

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
बक्सर, चौसा, इटाढ़ी, राजपुर, सिमरी, ब्रह्मपुर, डुमरॉव एवं चौगाई।

बक्सर, दिनांक / /2018

विषय : वर्तमान वितीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष –02– बाढ़–चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0016–राज्य के स्थानीय प्राकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड 39–2245021010016, मांग संख्या– 39, विस्तृत शीर्ष–37–अनुग्रह अनुदान विषय शीर्ष–01–अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत कुल 1,20,00,000/– (एक करोड़ बीस लाख) रूपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग : विभागीय पत्र संख्या–1/प्रा0आ0–0–3–23/2018(खण्ड)/50/आ0प्र0 दिनांक 15.11.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–23/2018(खण्ड)/50/आ0प्र0 दिनांक 15.11.2018 द्वारा वर्तमान वितीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष –02– बाढ़–चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0016–राज्य के स्थानीय प्राकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड 39–2245021010016, मांग संख्या– 39, विस्तृत शीर्ष–37–अनुग्रह अनुदान विषय शीर्ष–01–अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत कुल 1,20,00,000/– (एक करोड़ बीस लाख) रूपये मांग के अनुरूप संलग्न सूची के अनुसार निम्न शर्तो के तहत आपको उपावंटित किया जाता है :–

क्र0	अंचल का नाम	वज्रपात से मृत	पानी में डुबने से मृत	योग
1	बक्सर	4,00,000.00	24,00,000.00	28,00,000.00
2	चौसा	–	16,00,000.00	16,00,000.00
3	इटाढ़ी	–	12,00,000.00	12,00,000.00
4	राजपुर	–	8,00,000.00	8,00,000.00
5	सिमरी	4,00,000.00	4,00,000.00	8,00,000.00
6	ब्रह्मपुर	16,00,000.00	24,00,000.00	40,00,000.00
7	डुमरॉव	–	4,00,000.00	4,00,000.00
8	चौगाई	4,00,000.00	–	4,00,000.00
योगः–		**28,00,000.00**	**92,00,000.00**	**1,20,00,000.00**

1. विभागीय अधिसूचना संख्या– 1418/आ0प्रा0 दिनांक 17.04.2015 एवं 1891/आ0प्र0 दिनांक 16.07.2018 के आलोक में स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी मे ही आती है। संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य के विशेष स्थानीय प्राकृतिक की आपदा की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
3. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।
4. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातीशघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।
5. पूर्व उपावंटित राशि जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
6. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष – लघु शीर्ष / उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उप शीर्ष का मूहर लगाया जाय। अन्यथा आकड़े त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक– 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
8. यदि उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष मे संभव नहीं हो तो इसका प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दी जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
9. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 –
जिला पदाधिकारी
बक्सर

ज्ञापांक ....309........./आ0, दिनांक 12/12/2018....।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव / वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव / जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर / आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

12/12/18

जिला पदाधिकारी
बक्सर